सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरन्मेंट

पश्चिमी सिंहभूम

जिला खनिज फाउंडेशन योजना मार्गदर्शिका

प्रस्तावना

विभिन्न राज्यों के जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के नियम एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) यह बताते हैं कि हर जिले में डीएमएफ को अपने फण्ड के उपयोग के लिए वार्षिक योजना अभ्यास के माध्यम से कार्यों की पहचान और प्राथमिकता देने के लिए किया जाना चाहिए। डीएमएफ योजना के लिए दो स्पष्ट मुद्दों को रेखांकित किया गया है: जिलों को सहभागी ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय नियोजन अभ्यास करना चाहिए, और खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्पष्ट 'उच्च प्राथमिकता' वाले मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रभावित लोगों के कल्याण और लाभ को बढ़ा सके।

इन दोनों विनिर्देशों को खनन संबंधित संचालन से प्रभावित लोगों के 'हित और लाभ' के लिए डीएमएफ फण्ड की इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। इसके लिए, जिलों को व्यवस्थित एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए डीएमएफ योजनाओं को विकसित करने की जरूरत है। यह अव्यवस्थित और प्रतिक्रियाशील योजना, खराब निवेश और विशेष रुचि हस्तक्षेपों की संभावनाओं को कम करने में भी मदद करेगा।

इस प्रभाव के लिए, पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए एक सूचक डीएमएफ योजना प्रस्तावित है। इस अभ्यास का उद्देश्य प्राथमिकताओं की पहचान करने और आउटपुट–आउटकम दृष्टिकोण के आधार पर डीएमएफ द्वारा योजना लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए एक टेम्पलेट प्रदान करना है, जिसे जिला अपने वार्षिक और डीएमएफ बजट के अनुरूप कर सकती है। यह अधिक स्थिर निवेश को सक्षम करने के प्रयास के रूप में भी है, क्योंकि सूचक योजना खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों, ग्राम पंचायत के सदस्यों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और ब्लॉक और जिला स्तर अधिकारियों – जो इसके हितधारक हैं के साथ परामर्श कर बनायी गई है।

जिला खनिज फाउंडेशन

"खनिज समृद्ध भूमि पर रहने वाले लोगों का उस भूमि से
लाभ प्राप्त करने का अधिकार"

डीएमफ क्या है?

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) एक गैर लाभकारी स्वायत्त ट्रस्ट है, जो खनन–सबंधी संचालन से प्रभावित प्रत्येक जिले में अनिवार्य रूप से बनाना है । इसका गठन केंद्रीय कानून– माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2015– के तहत किया गया है।

एम एम डी आर अमेंडमेंट, 2015 के अंतर्गत भारत के हर खनन जिले में स्थापित किया जाना है।

खनन सम्बन्धी कार्यों का संचालन हो रहे क्षेत्र एवं निवासियों के हित और लाभ को सुनिश्चित करने के लिए है।

उद्देश्य और कार्य संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित।

उपायुक्त की अध्यक्षता में एक शाषी परिषद (राजनीतिक और सामुदायिक प्रतिनिधि भी शामिल) और एक प्रबंध समिति (सरकारी अधिकारी शामिल)

डीएमफ की क्षमताएँ

- महत्वपूर्ण अंटटाईड नॉन लैपसेबल वित्तीय कोष जो प्रतिवर्ष सीधा जिले के पास आता है।
- फ्लेक्सी फण्ड –राशी किसी योजना से जुडी नही है एवं इस फण्ड से दीर्घकालीन समस्याओं का योजन प्रक्रिया द्वारा निवारण किया जा सकता है।
- नॉन लैपसेबल– राशी नॉन लैपसेबल है एवं बैंक इंटरेस्ट के योग्य है।
- सामुदायिक भागीदारी–विकेन्द्रित समुदाय आधारित योजना प्रक्रिया।

डीएमएफ प्राथमिकता के क्षेत्र

डीएमएफ द्वारा योजना निर्माण

डीएमएफ् ट्रस्ट समुदाय आधारित सहभागी नियोजन प्रक्रिया के तहत (ग्राम सभा का अनुमोदन) वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी।

↓

डीएमएफ के सदस्य संबंधित ग्राम सभाओं से प्राप्त सुझावों / योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना तैयार करेंगे।

↓

अंतिम योजना में कार्यान्वित होने वाली विकास योजनाओं / कार्यों की निश्चित समय सीमा, कार्यों के प्रकार एवं संख्या का विवरण रहेगा।

↓

योजनाओं के निष्पादन के लिए ट्रस्ट संबंधित अधिकारियों / लोगों को राशी आवंटित करेगी।

विकेन्द्रित समुदाय आधारित योजना: एक महत्वपूर्ण कदम

जिला खनिज फाउंडेशन ग्राम सभा के माध्यम से योजना निर्माण करेगी। ग्राम सभाओं (विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए) के माध्यम से ये अधिकार निहित किए गए हैं।

ग्राम सभा की 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं–

- **लाभार्थियों की पहचान करना-** प्रभावित गांवों में लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है।

- **प्रभावित क्षेत्रों में किए जाने वाले योजनाओं और कार्यो का निर्णय लेने में-** इसके लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है। वास्तव में झारखंड में डीएमफ ट्रस्ट ग्राम सभा के प्रस्तावों को निरस्त/रद्द नहीं कर सकता है, केवल सुझावों/संशोधनों के साथ वापस भेज सकता है।

- **विकास योजनाओं/कार्यो का निरीक्षण-** गांवों में हो रहे कार्यों की रिपोर्ट ग्राम सभाओं में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

डीएमफ की संभावनाएं: पश्चिमी सिंहभूम

झारखण्ड लौह अयस्क के उत्पादन में देश के बड़े राज्यों में से एक है। इंडियन ब्यूरो ऑफ़ माइंस के 2015–16 के रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में भारत के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा था। पश्चिमी सिंहभूम लौह अयस्क उत्पादन में राज्य का सबसे बड़ा जिला है। लौह अयस्क के अलावा, जिला अन्य खनिज में समृद्ध है, जैसे मैंगनीज, लाइमस्टोन, एपेटाइट, एस्बेस्टोस, क्रोमाइट और क्यानाईट।

जिला खनन विभाग के अनुसार, 2016–17 में, जिले का कुल खनिज उत्पादन लगभग 17.4 (एमटी) था, जिसमें 16.3 (एमटी) लौह अयस्क था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) जिले का सबसे बड़ा ऑपरेटर है, उषा मार्टिन, टाटा स्टील, रुंगटा आदि अन्य प्रमुख ऑपरेटर में से हैं।

जिले में लौह अयस्क खान विशेष रूप से नोवामुंडी में स्थित हैं जहाँ समृद्ध सरांडा वन क्षेत्र भी है। इसके अलावा, मनोहरपुर, झिंकपानी, जगन्नाथपुर, चाईबासा, और मंझारी क्षेत्रों में लौह अयस्क खान हैं। जिले में 100 से अधिक लौह अयस्क खान है और सभी ओपन कास्ट है। नोवामुंडी,मनोहरपुर और झिंकपानी जिले के सबसे प्रभावित प्रखंड है और मुख्य रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र है।

पश्चिमी सिंहभूम जिले को डीएमएफ़ अनतर्गत कितनी राशि प्राप्त प्राप्त हुई ?

पश्चिमी सिंहभूम को अब तक (मार्च 2018) डीएमएफ़ से लगभग 424 करोड़ राशी प्राप्त हुई है। अनुमानित है की पश्चिमी सिंहभूम डीएमफ को प्रतिवर्ष 165 करोड़ राशि प्राप्त होगी।

इस राशि से अभी तक निवेश ?

इस फण्ड से राज्य सरकार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में प्राथमिकतायें तय की गयी है। पश्चिमी सिंहभूम में निवेश मुख्य रूप से पेयजल सम्बंधित योजनाओं और शौचालय (ओडीएफ) पर है। मार्च 2018 तक पेय जल परियोजनाओं पर लगभग 95 करोड़ राशि और ओडीएफ पर 52 करोड़ डीएमएफ से स्वीकृत किये गए है।

किन क्षेत्रों में डीएमएफ निवेश करने की आवश्यकता है?

पश्चिमी सिंहभूम जिले को डीएमएफ अंतर्गत सालाना 165 करोड़ राशि प्राप्त होने क अनुमान है। इस फण्ड से जिला के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक, मानव विकास और संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर निवेश करने का बहुत बड़ा अवसर है।

सीएसई नें पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थिति और समस्याओं का मूल्यांकन किया है। इसके माध्यम से यह समझने की कोशिश है कि डीएमएफ की प्राथमिकतायें क्या होनी चाहिए? यह मूल्यांकन मूल रूप से है: डिस्ट्रिक्ट डाटा, खनन प्रभावित लोगों के साथ बैठक जिनमे महिला, वृद्ध, युवा, पंचायत प्रतिनिधि, प्रभावित समुदाय आदि और ब्लाक अधिकारियों के साथ चर्चा कर तैयार किया गया है।

पश्चिमी सिंहभूम की स्थिति आंकलन

जिन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें शामिल हैं–

1. स्वास्थ्य एवं पोषण - खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण के विश्लेषण से यह पता चलता है कि बुनियादी ढांचे के साथ–साथ स्वास्थ्य संसाधनों दोनों में कमी है। प्रमुख कमियों में शामिल हैं:

- प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की अपर्याप्त संख्या– पीएचसी, सीएचसी।
  - झिंकपानी, मंझारी एवं चाईबासा जैसे खनन प्रभावित प्रखंड में एक भी पीएचसी नहीं। अन्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में, पीएचसी अपनी निर्धारित क्षमता से दो से तीन गुना पर हैं।

- अपर्याप्त मानव संसाधन – डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी।
  - जिला अस्पताल में 55 फीसदी डॉक्टर की कमी है। जिला अस्पताल में केवल 18 डॉक्टर जबकि 40 की आवश्यकता हैं। इसी तरह जिले के सीएचसी में, केवल 43 डॉक्टर हैं, जबकि आवश्यकता 112 है। सब–डीविज़नल अस्पताल में 82% डॉक्टर की कमी। अन्य स्पेशलिस्ट एवं तकनिशियन की

भी कमी। नोवामुंडी एवं मनोहरपुर में पीएचसी में केवल एक डॉक्टर और एक हेल्थ स्टाफ जबकि 15–20 हेल्थ स्टाफ की आवयश्यकता, सीएचसी में केवल 10 हेल्थ स्टाफ 35–40 की जगह पर है।

- अस्पतालों में बुनियादी संरचना की कमी।
  - जिला अस्पतालों में आवश्यक बेड की कुल संख्या 400 है, जिला अस्पताल में केवल 100 बिस्तर उपलब्ध हैं। अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ जैसे दवा एवं अन्य संसाधन अपर्याप्त हैं।

- आबादी की तुलना में आंगनवाड़ी की अपर्याप्त संख्या।
  - आंगनवाड़ी की लगभग 50 फीसदी की कमी है।
- आंगनवाड़ी की स्थायी संरचना एवं पेयजल, शौचालय और बिजली की सुविधाओं की कमी।
  - नोवामुंडी में 46% आंगनवाड़ी के स्थायी भवन नहीं,अन्य खनन प्रभावित क्षेत्र मनोहरपुर,मंझारी एवं जगन्नाथपुर में 25% आंगनवाड़ी के स्थायी भवन नहीं।

2. शिक्षा- शिक्षा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि बुनियादी ढांचे के साथ–साथ संसाधनों दोनों में कमी है। प्रमुख कमियों में शामिल हैः

- अपर्याप्त संख्या में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल।

- स्कूलों में स्वच्छ पेयजल (नल का पानी) और बिजली की कमी।
  - जिले के लगभग 95% स्कूल में नल के पानी की सुविधा नहीं, यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख चिंता है। खनन प्रभावित क्षेत्र जैसे झिंकपानी एवं मंझारी में लगभग किसी भी स्कूल में नल की पानी की सुविधा नहीं।

- माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों में प्राथमिक स्तर की तुलना में कम नामांकन।
  - समुदाय के साथ बातचीत से पता चलता है कि स्कूलों की दूरी, शिक्षा की खराब गुणवत्ता, शिक्षकों की कमी, साथ ही साथ परिवार की वित्तीय स्थिति माध्यमिक स्तर की शिक्षा में नामांकन और ड्रॉपआउट के निचले स्तर होने के प्रमुख कारण हैं।

- अपर्याप्त शिक्षकों की संख्या।
  - जिले के केवल 50% प्राथमिक स्तर के स्कूल पर्याप्त शिक्षक मापदंड को पूरा करते है। सेकेंडरी स्तर पर और भी ख़राब करीब 70% स्कूल में अपर्याप्त शिक्षक।

3. रोजगार एवं आजीविका - रोजगार की स्थिति और आजीविका के अवसरों को देखते हुए, निम्नलिखित मुद्दे उभरते हैं जिन्हें ध्यान देने की आवश्यकता हैः

- कार्यरत आयु वर्ग के लगभग 27 प्रतिशत लोग गैर–श्रमिक हैं।
- खनन गतिविधियों ने स्थानीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आजीविका प्रदान नहीं की है।
- लगभग 54 प्रतिशत ग्रामीण परिवार 5,000 प्रति माह रुपये से कम कमाते।

- अधिकांश खनन प्रभावित क्षेत्रों में, आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है।
- समुदाय से चर्चा से पता चलता है कि आकस्मिक मजदूरी के लिए ट्राइबल समुदाय के लोगों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता है।
- स्थानीय संसाधनों जैसे वन–आधारित आजीविका काफी कमजोर है। कृषि आधारित आजीविका के अलावा, यह जिले एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतत आजीविका विकल्प के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और आय में सुधार एवं स्थिरता प्रदान कर सकता है।
- कमाई बढ़ाने में ग्रामीण आजीविका योजनाएं अप्रभावी हैं। मनरेगा जैसे योजनाएं भूमि उपलब्धता, अपर्याप्त काम एवं मजदूरी भुगतान के मुद्दों के कारण सीमित हैं। एनआरएलएम के तहत महिला मंडल के आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण समर्थन और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना मुख्य मुद्दा है।
- खनन प्रभावित प्रखंड जैसे मनोहरपुर, नोवामुंडी, मंझारी, जगन्नाथपुर, चाईबासा और झिंकपानी में ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आव्यश्यकता हैं। लघु सिंचाई कार्यों का विस्तार, पारंपरिक पानी निकायों का नवीनीकरण इत्यादि, इन क्षेत्रों में कृषि आधारित आजीविका को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं।

4. पेयजल स्वच्छता- पेयजल स्वच्छता सम्बंधित विश्लेषण में शामिल हैं:

■ नल के पानी (उपचारित) तक की पहुंच नहीं।

- स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता जिले में एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर खनन क्षेत्रों में। प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए, केवल उपचारित नल का पानी सुरक्षित माना जा सकता है।
- अधिकांश परिवार चापाकल एवं कुंआ के पानी पर निर्भर रहते।

■ शौचालय सुविधाओं के उपयोग।

- कई घरों में अभी भी उचित उपयोग करने योग्य शौचालय नहीं हैं। आवश्यक जल आपूर्ति और उचित जल निकासी व्यवस्था की अनुपस्थिति के कारण उपयोगिता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

5. प्रदूषण नियंत्रण और भूमि सुधार

- झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) ने झारखंड में 17 "अत्यधिक प्रदूषण" औद्योगिक इकाइयों की एक सूची पहचान की है, जिनमें से तीन पश्चिमी सिंहभूम में हैं।
- लौह अयस्क खानों और विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों (जैसे लौह और इस्पात संयंत्र, स्पंज आयरन इकाइयों, सीमेंट प्लांट) की वजह से पश्चिमी सिंहभूम में गंभीर प्रदूषण है।
- खनन एवं अन्य औद्योगिक गतिविधियों से पश्चिमी सिंहभूम जिले विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में गंभीर जमीन और सतही जल प्रदूषण की समस्या है।
- जल प्रदूषण के अलावा, जिला की जल क्षमता और उपलब्धता भी चिंता का विषय है।
- आयरन डस्ट की वजह से खनन क्षेत्रों में वायु प्रदुषण उच्च स्तर पर। ओपनकास्ट खनन गतिविधियों, खनन के परिवहन, ड्रिलिंग, विस्फोट, क्रशर गतिविधियों, सड़कों का ख़राब रखरखाव आदि,सभी प्रदूषण में योगदान करते हैं।

प्राथमिकतायें क्षेत्र एवं निवेश की आवश्यकता

स्वास्थ्य एवं पोषण

स्थिति	0-5 वर्षों में निवेश की आवश्यकता
• जीर्ण रोगों का उच्च फैलाव जैसे टीबी, मधुमेह, श्वसन रोग एवं हाइपरटेंशन। • बच्चों के बीच पेयजल और स्वच्छता से संबंधित बीमारियांः 0–5 आयु के बीच लगभग 93% बच्चे मनोहरपुर क्षेत्र में मलेरिया से ग्रसित। • हेल्थकेयर बुनियादी ढांचे एवं हेल्थकेयर स्टाफ जैसे डॉक्टर, नर्स, टेकनिकल स्टाफ में कमी। • जिला अस्पताल अर्ध–कार्यात्मक, अस्पतालों में बुनियादी ढांचे/संसाधनों की कमी– आईपीएचएस के अनुसार जिला अस्पताल में 400 बिस्तर होने चाहिए 15 लाख के आबादी पर, जिला अस्पताल में मात्र 100 बेड उपलब्ध। • IMR (शिशु मृत्यु दर) 53– ग्रामीण क्षेत्रों में 57, U5MR (0–5 वर्ष मृत्यु दर) ग्रामीण क्षेत्रों 96, जो देश में सबसे ख़राब में से एक है। • ग्रामीण क्षेत्रों में 0–5 साल में लगभग 33% से जाएदा बच्चे अंडर वेट (कम वजन) और 46% स्टंटेड (अविकसित)। • तीव्र कुपोषण के लक्षण। • खनन प्रभावित क्षेत्र में आंगनवाड़ी अपनी क्षमता से लगभग 3 गुना बच्चो पर हैं। नोवामुंडी (3.5 गुना), मनोहरपुर (1.6 गुना) झिंकपानी (2.8), मंझारी एवं चाईबासा 3 गुना (मानक के हिसाब से 40 बच्चों के लिए 1 आंगनवाड़ी होनी चाहिए)। • खनन प्रभावित क्षेत्र नोवामुंडी में लगभग 50% आंगनवाड़ियों के अपने स्थायी भवन नहीं, 77% आंगनवाड़ी परिसर में शौचालय की सुविधा नहीं, लगभग सभी आंगनवाड़ी में पेयजल की सुविधा नहीं। • अन्य खनन क्षेत्र जैसे मनोहरपुर, मंझारी एवं जगन्नाथपुर में 25% से जाएदा आंगनवाड़ियों के अपने स्थायी भवन नहीं। जिले के 50% से ज़्यादा आंगनवाड़ियों में पेय जल सुविधा नहीं।	• नोवामुंडी, मनोहरपुर, झिंकपानी, मंझारी, चाईबासा एवं जगन्नाथपुर में 2 पीएचसी विकसित करने की आवश्यकता। कमी को भरने के लिए एचएससी को अपग्रेड किया जा सकता है। निजी क्लीनिकों के साथ अनुबंध (पार्टनरशिप के माध्यम से) कर क्षमता विस्तार को बढ़ावा। • 'अनुबंध' पर आवश्यकतानुसार डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों को भर्ती किया जा सकता है। • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से बीपीएल परिवारों की महिलाओं/माताओं जो विधवा या किसी भी सहारे के बगैर हों उनके और बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए। • उचित मूल्यांकन के माध्यम से खाद्य आपूर्ति और पूरक पोषण अंतराल भरें और स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर विचार करें जो लोग उपभोग करना पसंद करते हैं। • जिले में आंगनवाड़ी की संख्या कम से कम 2 गुना तक बढ़ाने की आव्यश्यकता है। खनन प्रभावित प्रखंड में 205 स्थायी आंगनवाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता साथ ही उपचारित पीने का पानी एवं कार्यरत शौचालय की आव्यश्यकता। • सभी आंगनवाड़ी में साफ/ट्रीटेड पेयजल सुनिश्चित करें। • 6 महीने–3 साल की उम्र के बच्चों के लिए क्रेच (बालगृह) में निवेश करें– खनन–प्रभावित क्षेत्रों में प्रति गांव कम से कम एक क्रेच प्रदान किया जाना चाहिए। स्थानीय समुदाय से चुने गए महिलाओं द्वारा क्रेच को चलाया जा सकता है, एक महिला 10 बच्चों/प्रति क्रेच के लिए। • जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा के तहत उपलब्ध मौजूदा सेवा में सुधार, एवं सार्वजनिक और निजी सुविधाओं दोनों में उपचार और चेक–अप का लाभ उठाने के लिए महिलाओं/माताओं को 'हेल्थ वाउचर' प्रदान किया जा सकता। • खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना, मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आदि के कवरेज को बढ़ाये।

शिक्षा की स्थिति एवं निवेश

स्थिति	0-5 वर्षों में निवेश की आवश्यकता
● पश्चिमी सिंहभूम जिले की साक्षरता 58.6% (राज्य का 66.4%)। महिला साक्षरता मात्र 46.2%, अनुसूचित जाति–63.7%, एसटी–53.4% ● कार्यरत आयु वर्ग (20–39 वर्ष) में 57% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, 13% ने हायर सेकेंडरी एवं 9% स्नातक पूरा किया। ● प्राथमिक स्कूलों में एनरोलमेंट अच्छा, चाईबासा को छोडकर अन्य सभी खनन प्रभावित क्षेत्रों में माध्यमिक एनरोलमेंट में 35–60% गिरावट। ● स्कूलों की कमी–अपर्यापत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल की संख्या। ● अधिकांश क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूल केवल 10–15% प्राथमिक स्कूलों के तुलना में उच्च माध्यमिक स्कूल और भी कम हैं, केवल 5–10%। ● मूलभूत सुविधायें जैसे पेयजल एवं बिजली की कमी। जिले के लगभग 95% स्कूलों में जल नल सुविधा नहीं। खनन प्रभावित क्षेत्रों में औसतन 2% स्कूलों में नल जल सुविधा। ● जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% स्कूलों में बिजली नहीं। खनन प्रभावित क्षेत्र जैसे मनोहरपुर में लगभग 94.1%, नोवामुंडी–76.5%, झिंकपानी और मंझारी में 90% स्कूलों में बिजली नहीं। ● अपर्याप्त शिक्षक – प्राथमिक स्तर पर 50%, माध्यमिक स्तर में 70% से जाएदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक। ● अपर्याप्त क्लासरूम – लगभग सभी प्रखंडो में 50% से जाएदा सेकेंडरी स्कूलों में अपर्याप्त क्लासरूम।	● राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) मानकों के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों को बढ़ाएं। यह मौजूदा प्राथमिक + उच्च प्राथमिक विद्यालय के कम से कम 50 प्रतिशत के उन्नयन के द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों में किया जा सकता है। ● माध्यमिक शिक्षा पूरा करने एवं नामांकन आरएमएसए लक्ष्यों के अनुसार सुधार के लिए निवेश। ● उच्च शिक्षा में मौजूदा छात्रवृत्ति में बढ़ावा करते हुए सभी के लिए विशेष रूप से महिलाओं एवं अशक्षम के लिए शिक्षा सुलभ बनाना । ड्रॉपआउट को कम करने के लिए, एसटी बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्तियां, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, विकलांग बच्चों 8–10 क्लास को सहायता। ● प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के स्कूलों के लिए, आरएमएसए के तहत निर्दिष्ट निर्धारित पीटीआर आवश्यकता (30 : 1) को पूरा किया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराए। ● योग्य शिक्षकों को आकर्षित और बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर शिक्षकों के वेतन में सुधार किया जाना चाहिए। ● माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय लोगों को विशेष रूप से महिलाएं को प्रशिक्षण और भर्ती । ● स्थानीय भाषा शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें– आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए स्थानीय विशेष रूप से महिलाओं को प्रशिक्षित और भर्ती करें। ● बच्चों के लिए कम से कम 10वीं कक्षा तक कवरेज बढ़ाने के लिए मिड डे मील योजना पर सुधार करें।

रोजगार एवं आजीविका की स्थिति

स्थिति	0-5 वर्षों में निवेश की आवश्यकता
• कुल आबादी के 46% श्रमिक हैं। 54% गैर–श्रमिक वर्ग में, लगभग 27% लोग कार्यरत आयु वर्ग (जिसे 15–59 वर्ष माना जाता है) में गैर–श्रमिक। • सीमांत श्रमिक आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लगभग 23%। • श्रमिकों में महिला भागीदारी ख़राब – कुल आबादी के लगभग 2% ही महिला श्रमिक हैं; कार्य आयु वर्ग में 68 प्रतिशत महिला गैर श्रमिक हैं। • खनन प्रभावित क्षेत्र नोवामुंडी में 62% लोग गैर श्रमिक एवं मनोहरपुर में 51% गैर श्रमिक। • लगभग 54% ग्रामीण परिवार 5,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं। इसके अतिरिक्त 37.3% परिवार की कमाई 5,000 – 10,000 के बीच । • लगभग 50% ग्रामीण परिवार आय के स्रोत मैनुअल/आकस्मिक कार्य पर निर्भर हैं। • ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित आजीविका पर अधिक निर्भरता। उदाहरण के लिए मनोहरपुर में 72% एवं मंझारी में 86% मुख्य श्रमिक कृषि पर निर्भर हैं। हालांकि, खनन गतिविधियों के कारण कृषि लम्बे समय से प्रभावित होता रहा है जिससे उत्पादन में कमी आई है साथ ही कृषि योग्य भूमि कम हुई है, पानी और खेत भी प्रदुषण से प्रभावित हुए है। • खनन प्रभावित क्षेत्र नोवामुंडी और मनोहरपुर में वन क्षेत्र क्रमशः 39% और 37% है। इससे वन आधारित आजीविका के अवसर को बढाया जा सकता है। इसके अलावे वनाधिकार के बेहतर निपटारे से भी वन आधारित आजीविका क्षमता को बढाया जा सकता है। • मनरेगा का खराब प्रदर्शन है। औसत लगभग 0–4% परिवार खनन प्रभावित क्षेत्रों से रोजगार के 100 दिन पूरे किए हैं।	• माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा करने के लिए जिससे सुरक्षित रोजगार मिल सके । महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। • कौशल विकास– पीएमकेवीवाई के प्रावधानों के अनुसार 15–39 के कार्य आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों/गैर–श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण बढ़ाएं। प्रशिक्षण का ध्यान कमजोर वर्ग पर होना चाहिए, जिनमें से 50 प्रतिशत प्रशिक्षित महिलाएं एंव एसटी हो। • पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्थानीय संसाधनों और सामाजिक–आर्थिक प्रोफ़ाइल को देखते हुए, प्रशिक्षण वन आधारित उत्पादों, कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, (झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों) जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित किया जा सकता है। • वाटरशेड प्रबंधन (जैसे झारखंड राज्य वाटरशेड मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) के कार्यक्रमों को मनरेगा एवं विभिन्न संबंधित विभागों/योजनाओं के साथ अभिसरण कर विकसित करे। पानी और मिट्टी की स्थिति में सुधार तथा आजीविका के लिए निवेश का ध्यान होना चाहिए। • लघुवनोपज की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता और उचित भंडारण सुविधाओं एवं मार्केट लिंकेज प्रदान करे। • लघुवनोपज/हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री में सुधार और बेहतर आर्थिक मूल्य कमाने के लिए मार्केट लिंकेज ट्राइबल कॉपरेटिव मार्केटिंग, झारक्राफ्ट आदि संस्थानों के माध्यम से। • पूंजी/सब्सिडी प्रदान करें स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग के लिए। • एमएसपी को 10 प्रतिशत बढ़ाकर लघुवनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का उन्नयन। • मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और व्यापार उद्यमशीलता के लिए छात्रवृति।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

राजीव रंजन
फोन: 07759064516 • ईमेल: rajeev.ranjan@cseindia.org
वेबसाइट: https://www.cseindia.org/page/district-mineral-foundations

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरन्मेंट
41, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली– 110 062, भारत
फोन: +91-11-40616000 फैक्स: +91-11-29955879
ई–मेल: cse@cseindia.org वेबसाइट: www.cseindia.org